भारत सरकार
गृह मंत्रालय
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 235
दिनांक 27 नवम्बर, 2024/ 6 अग्रहायण, 1946 (शक) को उत्तर के लिए

एसडीआरएफ के अंतर्गत आवारा पशुओं के लिए सहायता

235 # श्री चुन्नीलाल गरासिया:

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या ग्रामीण स्थानीय निकायों के पास पर्याप्त संसाधनों की अनुपलब्धता के मद्देनजर सरकार यह देखते हुए कि वर्तमान में राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि (एसडीआरएफ) मानदंडों में आवारा पशुओं के लिए सहायता प्रदान करने का कोई प्रावधान नहीं है, ग्रामीण क्षेत्रों में आवारा पशुओं के लिए सहायता प्रदान करने के लिए एसडीआरएफ मानदंडों के तहत प्रावधान करने का विचार रखती है;
(ख) यदि हां, तो यह प्रावधान कब तक कर दिया जाएगा; और
(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री नित्यानंद राय)

(क) से (ग): आवारा पशुओं के लिए राज्य आपदा मोचन निधि (एसडीआरएफ) और राष्ट्रीय आपदा मोचन निधि (एनडीआरएफ) स्कीम के अंतर्गत कोई विशिष्ट प्रावधान नहीं है। यद्यपि, दुधारू पशुओं, भारवाही पशुओं अथवा ढुलाई के लिए प्रयुक्त पशु की हानि के लिए छोटे एवं सीमांत किसानों को निशुल्क राहत के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

दिनांक 27.11.2024 के लिए राज्य सभा अ. ता. प्र. सं. 235

इसके अलावा, मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय के तहत भारतीय पशु कल्याण बोर्ड (एडब्ल्यूबीआई), गौशालाओं सहित पशु कल्याण संगठनों को मान्यता देता है, जो पशु आश्रयों का रखरखाव कर रहे हैं। राज्य सरकारें अपने अधिदेश के अनुसार आवारा पशुओं को रखने के लिए आश्रय की स्थापना हेतु सहायता प्रदान कर रही हैं। इसके अतिरिक्त, भारतीय पशु कल्याण बोर्ड (एडब्ल्यूबीआई) पशुओं की देखभाल के लिए आश्रय गृहों के लिए अनुदान, विपदाग्रस्त पशुओं के बचाव और उपचार के लिए एम्बुलेंस सेवाओं की खरीद, प्राकृतिक आपदाओं के दौरान पशुओं को राहत प्रदान कर रहा है।

******